हरियाणा विधान सभा

पंद्रहवी विधान सभा

बजट सत्र 2025

कार्य सूची

20 मार्च, 2025

11:00:00

1. प्रश्न।

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

2. वर्ष 2025-2026 के लिए बजट।

(1) वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।

3. सरकारी संकल्प

(1) **एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि-** महोदय, हम सभी इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि विधानमंडल लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोगों के हितलाभ/फायदे के लिए कार्य करते हैं। भारतीय विधानमंडल में विभिन्न संसदीय सुधार चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समितियां लोगों की जरूरतों की आपूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा मंच है। दोनों विषय समितियां, जोकि प्रस्तावित हैं, विशेष रूप से वर्तमान समय की आवश्यकता के लिए प्रासंगिक हैं। अतः, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दो नई विषय समितियां अर्थात् (i) पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी विषय समिति तथा (ii) युवा कल्याण एवं युवा मामलें संबंधी विषय समिति गठित की जाए तथा हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 279-ख के बाद निम्नलिखित प्रावधान रखा जाए:-

(i)

(XVIII) पर्यावरण तथा प्रदूषण पर विषय समिति।

विषय समिति का गठन	**279-ग** (1) पर्यावरण तथा प्रदूषण के लिए एक समिति होगी जिसमें अध्यक्ष द्वारा नामजद नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।(2) समिति के सदस्यों की कार्यावधि एक वर्ष होगी।
	279-घ (1) समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:- (क) राज्य के भीतर पर्यावरणीय समस्याओं पर अध्ययन करना और उसके उपचारिक उपायों की सिफारिश करना। (ख) राज्य में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और उन जैसे विभिन्न तरह के प्रदूषणों द्वारा कारित पर्यावरणीय

समिति के कृत्य।	असंतुलन की प्रकृति, मात्रा और विस्तार तथा ऐसे प्रदूषण के परिणाम का परीक्षण करना और उनके निवारण और नियंत्रण के लिये उपचारित उपायों का सुझाव देना। (ग) राज्य में पर्यावरण से संबंधित स्थित विभाग / बोर्ड या औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कार्य और क्रिया-कलापों का परीक्षण करना। (घ) राज्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने से संबंधित (केन्द्र और राज्य दोनों) की योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना। (ङ) पर्यावरण के संदर्भ में राज्य से संबंधित विभाग / बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदनों का यह पता लगाने के दृष्टिकोण से परीक्षण करना कि क्या उपगत व्यय प्राप्त परिणामों के अनुरूप था। (च) समिति द्वारा सुझाये गये विभिन्न उपायों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर विधान सभा को रिपोर्ट करना। (छ) ऐसे अन्य मामलों का, जिन्हें समिति द्वारा उचित समझा जाए या जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किया जाए, परीक्षण करना। (2) विषय समिति दिन-प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी मामलों की जांच अथवा अन्वेषण नहीं करेगी।"।

(XIX) युवा कल्याण एवं युवा मामलों के लिए विषय समिति।

विषय समिति का गठन	279-ड (1) युवा कल्याण एवं युवा मामलों के लिए एक समिति होगी जिसमे अध्यक्ष द्वारा नामजद नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। (2) समिति के सदस्यों की कार्यावधि एक वर्ष होगी।
समिति के कृत्य।	279-च (1) समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगेः- (क) राज्य में लागू विभिन्न युवा कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों की जांच करना; (ख) सदन में युवाओं एवं युवा कल्याण से संबंधित चर्चा से उत्पन्न किसी भी मामले की जांच करना; (ग) युवा एवं युवा कल्याण के संबंध में व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त याचिका/अभ्यावेदनों की जांच करना; (घ) ऐसे अन्य मामलों का, जिन्हें समिति द्वारा उचित समझा जाए या जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किया जाए, की जांच करना; (2) ऊपर वर्णित सभी शिकायतों अथवा किसी एक के लिए उपचारित उपायों का सुझाव देना। (3) यह सुनिश्चित करना कि युवा कल्याण के लिए सरकार द्वारा आबंटित निधि का पूर्णतः उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए यह अभिप्रेरित था। युवा कल्याण ग तिविधियों के उद्देश्य के लिए चिन्हित राशि का सरकारी विभागों अथवा एजेंसियों द्वारा किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोकना; (4) विषय समिति दिन-प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी मामलों की जांच अथवा अन्वेषण नहीं करेगी।

4. विधायी कार्य।

(1) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

(i)

हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2025	एक मंत्री	हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

(2) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

(i)

हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

(ii)

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

(iii)

हरियाणा भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(iv)

बीज (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि बीज (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(v)

कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

डा. सतीश कुमार
प्रभारी सचिव
हरियाणा विधान सभा

चंडीगढ़-160001
दिनांक :१९ मार्च २०२५